न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग(भरतपुर)

प्र0सं0, 55/2021,(जी.सी.एम.एस. न. 2021/215) पीठासीन अधिकारीः— डॉ रवि कुमार गोयल (R.A.S.)

उनवान

1. भूदेव
2. सुखदेव — पिस0 स्व0 सोबरन सिंह
3. लक्ष्मी पत्नी स्व0 सोबरन सिंह
4. पुष्पा
5. मिथलेश
6. सुमन
7. सत्येन्द्री — पुत्रियां स्व0 सोबरन सिंह
8. सुषमा
9. अनीता
10. मोहन सिंह पुत्र किशन सिंह
11. गायत्री
12. मुन्नी
13. राजवती
14. बीना
15. सुखवीरी — पुत्रियां किशन सिंह
16. सुमित्रा
17. सरजी
18. राजकुमार उर्फ मेघेन्द्र सिंह पुत्र विजय सिंह
19. बिजेन्द्री पत्नी स्व0 विजय सिंह
20. धर्मवीर सिंह
21. तेजवीर सिंह
22. श्रीभान सिंह — पुत्रगण बलवीर सिंह
23. सुभाष
24. सुधीर
25. चिराग पुत्र स्व0 रमेश
26. देवेन्द्री पत्नी स्व0 रमेश
27. मोहित पुत्र स्व0 सुखवीर
28. सारिका पत्नी स्व0 सुखवीर

— जातियान जाट नि0 ग्राम कौरेर तहसील डीग

—वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग

—प्रतिवादी

दावा बावत उद्घोषणा अन्तर्गत धारा 88,89 राज0 टि0 एक्ट,

उपखण्ड अधिकारी डीग (डीग) राज.

उपखण्ड अधिकारी डीग जिला डीग (राज.)

मूल रिकॉर्ड से मिलान किया गया

Scanned with OKEN Scanner

दिनांकः 09.07.2024

निर्णय

वादीगण द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि साविक आ.ख.नम्बरान 3190/1.16, 3198/0.72, वाके ग्राम कौरेर तहसील डीग में स्थित है। वर्णित आराजी को हाल बन्दोवस्त में गत खसरा नम्बरान 3527 रकबा 5 बीघा 11 विस्वा, 3481 मिन के वदले में बनाया गया है। वादीगण द्वारा वादपत्र की मद संख्या 4 में सजरा खानदान भी दर्ज किया हुआ है। वादीगण द्वारा वादपत्र में यह भी दर्ज किया है कि उक्त आराजी वादीगण को उनके पूर्वजों से प्राप्त हुई है। जिस पर पूर्व में उनके पूर्वज काबिज थे उनकी मृत्यु के बाद वादीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है। लेकिन वादीगण को आराजी खसरा नम्बरान 3190, 3198 में खातेदार के स्थान पर गैर खातेदार दर्ज किया हुआ है। आराजी उनके पूर्वजों की आवंटन एवं खुदकाश्त व खातेदारी की आराजी थी जिस पर कानूनन वादीगण ने खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये तथा वादीगण ने अपने वाद में यह भी दर्ज किया हुआ है कि वादी संख्या 10 मोहन सिंह के पिता का नाम किशन सिंह के स्थान पर सुफेदी दर्ज किया जा रहा है एवं वादी संख्या 18 राजकुमार उर्फ मेघेन्द्र सिंह को खसरा नम्बर 3190 मे राजकुमार पुत्र सुफेदी तथा खसरा नम्बर 3198 में राजकुमार पुत्र गणेश गलत दर्ज किया जा रहा है जबकि सही नाम विजय सिंह है एवं खसरा नम्बर 3198 में सुफेदी पत्नी गणेशी की मृत्यु हो चुकी है तथा बलवीर पुत्र परसादी की भी मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान वादीगण संख्या 20 लगायत 28 है जोकि मृतकों के हिस्सा पर काबिज है। अतः निवेदन है कि दावा वादीगण स्वीकार फरमाया जाकर वर्णित आराजीयात पर गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश फरमायें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति0/तहसीलदार डीग ने अपने पत्रांकः एल.आर./2024/1606 दिनांक 08.07.2024 से अपना जबाव पेश किया गया। जबाव में वर्णित किया गया है कि आराजी खसरा नम्बरान 3190/1.16, 3198/0.72 वाके ग्राम कौरेर पर जमाबन्दी रिकार्ड अनुसार दिये गये सभी गैर खातेदारों का कब्जा बदस्तूर है उक्त नम्बरान पर वर्तमान में कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है तथा उक्त खसरा नम्बरान आबादी एवं सडक से दूर स्थित है। वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में नकल जमाबन्दी सम्बत 2074—2077 खसरा नम्बरान 3190, 3198 एवं नकल मिलान क्षेत्रफल तथा गत जमाबन्दी सम्बत 2031—2034 किता—2 एवं गत जमाबन्दी सम्बत 2024—2027 पेश की है। नामा0 संख्या 347, 349 दिनांक 25.10.1971 की प्रति पेश की गई। वादीगण के दावा एवं प्रति0 के जबाव दावा के आधार पर निम्नांकित तनकी कायम की गईः—

उपखण्ड अधिकारी * डीग (राज.) *

मूल रिकार्ड से मिलान किया गया

Ram

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

1. आया वादीगण विवादित आराजी के गैर खातेदार के स्थान पर अपने आपको खातेदार घोषित करा पाने के अधिकारी है।

उक्त तनकी को सावित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में जो दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये है उससे प्रमाणित है कि आराजी खसरा नम्बर 3190/1.16 को गत खसरा नम्बर 3527 कुल रकबा 5–11 के बदले में एवं खसरा नम्बर 3198/0.72 को गत खसरा नम्बर 3481 मिन व 3527 मिन से बनाया गया है। गत खसरा नम्बर 3527 रकबा 5–11 विस्वा में से 2–16 विस्वा आराजी गणेशी पुत्र परसादी को एवं 2 वीघा 15 विस्वा बलवीर पुत्र परसादी को दिनांक 22.07.1971 को आवंटित हुई है। जिनके नामा0 संख्या 347 व 349 पेश किये गये है तथा गत खसरा नम्बर 3527 कुल 5–11 विस्वा से बन्दोवस्त विभाग द्वारा नवीन खसरा नम्बर 3190 बनाया गया है उसके अलावा उक्त नामा0 का इन्द्राज भी गत जमाबन्दी सम्बत 2031–2034 में दर्ज हो चुका है। जोकि खाता संख्या 376 व 398 पर दर्ज है। इसके अलावा नवीन खसरा नम्बर 3198/0.72 को मिलान क्षेत्रफल में गत खसरा नम्बर 3481 की आराजी से बना होना दर्शाया है। गत खाता 3481के राजस्व रिकार्ड में जमाबन्दी सम्बत 2024–2027 में वादीगण के पूर्वज गणेशी,गोविन्द सिंह,बलवीर सिंह पुत्रगण परसादी एवं बाबू पुत्र परसादी को वाहिस्सा बरावर का खातेदार दर्ज किया हुआ है,लेकिन बन्दोवस्त विभाग द्वारा नवीन खसरा नम्बर 3198 में वादीगण को गैर खातेदार दर्ज किया है। जबकि उक्त आराजी उनकी खातेदारी की होना प्रमाणित है। वादीगण द्वारा अपने कब्जे को सावित करने के लिए खसरा गिरदावरी सम्बत 2078 पेश की है,जिसमें वादीगण द्वारा बोई हुई जिंस दर्ज है। जिससे वादीगण का ख0नम्बर 3190, 3198 पर लगातार कब्जा होना प्रमाणित है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर आर.आर.टी. 2021(1) पेज 376 पेश की गई है। जिसमें आवंटन से तीन बर्ष वाद आवंटी को खातेदार दर्ज किये जाने का प्रावधान प्रतिवादित किया हुआ है। जोकि वादीगण के प्रकरण पर चस्पा हो रही है। अतः वादीगण का वाद दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से सावित होना प्रतीत है। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत बहस, तहसीलदार डीग की रिपोर्ट/जबाव, कानूनी दृष्टांत, बयानात के आधार पर हम वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0 टि0 एक्ट, को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी डीग (राज.)

मूल रिकॉर्ड से मिलान किया गया

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

अतः आदेश है कि :–

वादीगण का दावा उपलब्ध साक्ष्य से सावित होने पर **स्वीकार** किया जाता है। आ.ख.नम्बरान 3190/1.16, 3198/0.72 हैक्टे0 वाके ग्राम कौरेर तहसील डीग पर वादीगण को गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार घोषित किये जाने तथा उक्त आराजी में दर्ज मोहन सिंह पुत्र सुफेदी व मोहन सिंह पुत्र गणेश के स्थान पर मोहन सिंह पुत्र किशन सिंह एवं राजकुमार उर्फ मेघेन्द्र सिंह पुत्र सुफेदी व मेघेन्द्र सिंह पुत्र गणेश के स्थान पर राजकुमार उर्फ मेघेन्द्र सिंह पुत्र विजय सिंह दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार डीग राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही से पूर्व यह सुनिश्चित करलें कि वादीगण पर कोई नियमानुसार राजकीय शुल्क तो बकाया नहीं है,अगर राजकीय शुल्क बकाया हो तो सम्बन्धित वादीगण से नियमानुसार शुल्क/राशि जमा राजकोष कराया जाकर ही वर्णित आराजी का राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करावें। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 09.07.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

उपखण्ड अधिकारी डीग जिला डीग (राज.)

Scanned with OKEN Scanner